




सत्यमेव जयते



पी. चिदम्बरम P. CHIDAMBARAM

गृह मंत्री, भारत
HOME MINISTER, INDIA

प्रिय देशवासियो,

हिंदी दिवस के अवसर पर मेरी शुभकामनाएं !

हमारे देश के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक ढांचे में आमूल-चूल परिवर्तन की प्रक्रिया जारी है। सूचना-प्रौद्योगिकी क्रांति और उन्नत संचार व्यवस्था ने संपूर्ण विश्व को एक विश्वग्राम में परिवर्तित कर दिया है। हिंदी का प्रयोग तीव्र गति से हो रहा है। हिंदी को इस स्थान तक पहुंचाने में हिंदीतर भाषी विद्वानों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले दस्तावेज़, कागज़ात आदि द्विभाषी रूप में तैयार किए जाते हैं। मूल रूप से हिंदी में किए जाने वाले कार्य, राजभाषा के रूप में हिंदी की बेहतर प्रगति का संकेत होगा। अतः कार्यालयों में हिंदी में मूल टिप्पण व पत्राचार को प्रोत्साहित किए जाने पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसके अतिरिक्त, कठिन हिंदी के बजाय सरल एवं सहज हिंदी का प्रयोग, हिंदी की व्यापक पहुंच एवं प्रचार में सहायक साबित होगा।

कंप्यूटर और सूचना-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई तकनीकें विकसित हो रही हैं। लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी और ज्ञान उपलब्ध करवाने में वेबसाइटों की उल्लेखनीय भूमिका है। अतः केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों, विभागों और कार्यालयों की हिंदी वेबसाइटों पर अंग्रेजी वेबसाइटों के समान नवीनतम एवं पूर्ण जानकारी उपलब्ध होना जरूरी है। आज हमारे कंप्यूटर बिना किसी कठिनाई के हिंदी में काम करने में पूरी तरह सक्षम हैं। सूचना-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से हो रही प्रगति का पूरा लाभ हिंदी प्रयोगकर्ता तक पहुंचाने के लिए यह आवश्यक है कि कंप्यूटर पर हिंदी प्रयोग के लिए मानक भाषा एनकोडिंग यानी यूनिकोड का प्रयोग किया जाए। केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों, विभागों और कार्यालयों को यूनिकोड के प्रयोग से होने वाले लाभ के बारे में बताया गया है और इस दिशा में कुछ प्रगति भी हुई है, लेकिन इस तकनीक का पूरा लाभ उठाने के लिए इस संबंध में प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता है।

स्पष्ट रूप से लक्ष्यों को निर्धारित करते हुए, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा प्रति वर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम जारी किया जाता है। मैं केंद्रीय सरकार के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु ठोस प्रयास करने का आग्रह करता हूं। साथ ही, यह भी अपील करता हूं कि इस संबंध में भेजी जाने वाली प्रगति रिपोर्टों में वास्तविक और तथ्यपरक आंकड़े एवं सूचनाएं ही दी जानी चाहिए।

संघ की राजभाषा नीति का आधार सद्भावना, प्रेरणा एवं प्रोत्साहन है किंतु संबंधित अनुदेशों का अनुपालन उसी प्रकार दृढ़तापूर्वक किया जाना चाहिए जिस प्रकार अन्य सरकारी अनुदेशों का अनुपालन किया जाता है। आइए, हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर हम सभी अपना अधिकाधिक कार्य हिंदी में करने के अपने संवैधानिक और नैतिक दायित्व के निर्वहन का संकल्प लें।

जय हिंद !

नई दिल्ली,
14 सितम्बर, 2010

पी. चिदम्बरम